

कार्यालय:  
राष्ट्रीय प्रतिष्ठान शिक्षा संशोधन,  
एनएच क्रॉसिंग, लखनऊ

संख्या— एनएच/सीएच/एनएच/2019/113

दिनांक: 11/08/19

कार्यालय आदेश:

राष्ट्रीय प्रतिष्ठान लखनऊ कोष प्रशासन शाखा द्वारा निम्न अनुसूची-20 को अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को प्रतिष्ठान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है। इन व्यक्तियों का नाम और पता निम्नानुसार है।

संख्या में अनुसूची में उल्लिखित व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए, प्रतिष्ठान को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना की जाती है।

ऐसी आवश्यकता विद्यमान है कि व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए, प्रतिष्ठान को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना की जाती है।

आप निम्नानुसार जानकारी प्रदान करने के लिए प्रार्थना की जाती है।

क्र.सं.	नाम	संकेत सं. नं.	पता	संबंधित व्यक्ति का नाम	संबंधित व्यक्ति का पता
1	...	...	...	...	...

संलग्नता सूची:

- 1. व्यक्तियों की सूची
- 2. व्यक्तियों के पता

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. ...
- 5. ...
- 6. ...
- 7. ...
- 8. ...
- 9. ...
- 10. ...
- 11. ...
- 12. ...
- 13. ...
- 14. ...
- 15. ...
- 16. ...
- 17. ...
- 18. ...
- 19. ...
- 20. ...
- 21. ...
- 22. ...
- 23. ...
- 24. ...
- 25. ...
- 26. ...
- 27. ...
- 28. ...
- 29. ...
- 30. ...
- 31. ...
- 32. ...
- 33. ...
- 34. ...
- 35. ...
- 36. ...
- 37. ...
- 38. ...
- 39. ...
- 40. ...
- 41. ...
- 42. ...
- 43. ...
- 44. ...
- 45. ...
- 46. ...
- 47. ...
- 48. ...
- 49. ...
- 50. ...
- 51. ...
- 52. ...
- 53. ...
- 54. ...
- 55. ...
- 56. ...
- 57. ...
- 58. ...
- 59. ...
- 60. ...
- 61. ...
- 62. ...
- 63. ...
- 64. ...
- 65. ...
- 66. ...
- 67. ...
- 68. ...
- 69. ...
- 70. ...
- 71. ...
- 72. ...
- 73. ...
- 74. ...
- 75. ...
- 76. ...
- 77. ...
- 78. ...
- 79. ...
- 80. ...
- 81. ...
- 82. ...
- 83. ...
- 84. ...
- 85. ...
- 86. ...
- 87. ...
- 88. ...
- 89. ...
- 90. ...
- 91. ...
- 92. ...
- 93. ...
- 94. ...
- 95. ...
- 96. ...
- 97. ...
- 98. ...
- 99. ...
- 100. ...

Page 100 of 100

संस्था - ...  
 ...  
 ...

...  
 ...  
 ...

**कार्यालय,  
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
समस्त प्रदेश, लखनऊ।**

संख्या:- प्राविण/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 18-9-2020

**कार्यालय द्वाप-**

अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/प्राचीन प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, नई दिल्ली द्वारा संचालित सत्र 2020-21 हेतु विद्यार्थी सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ को अनुमोदन प्रदान किए जाने की प्रार्थना प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 18-9-2020 को अधिसूचना प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यसभ्य में बैठक आयोजित हुई। बैठक में सचिव द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदन नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्ति से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/समस्त संस्था वृद्धि संबंधित सत्र 2020-21 हेतु विचार कर्तव्य हुआ। सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान करने जाने की निर्णय लिया गया।

उक्त की अनुमति में सम्बद्धता समिति की बैठक को 14-9-21 में विद्यार्थी सत्र कार्यसभ्य संचालित करने वाली पूर्ति से सम्बद्ध संस्थाओं को प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर विस्तार निर्णय लिया गया -

" निम्नी क्षेत्र में स्थापित विद्यार्थी सत्र कार्यसभ्य संचालित करने वाली संस्थाएँ, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीपीआईआईए द्वारा उन्हें सम्बद्ध अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीपीआईआईए द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्बद्ध अधिकार पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने जाने पर सचिव द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीपीआईआईए द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने की निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-09-2020 को आयोजित सम्बद्धता समिति की बैठक में सचिव नई संस्थाओं निर्णय को अनुक्रम में विस्तार प्रदान को प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निर्धारित शर्तों में अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अधिकार प्रदान हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीपीआईआईए द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीपीआईआईए/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	1202	दुर्गादेवी प्रभुदेवी ज्योतिषीय संस्थान, दिल्ली (संस्था का नाम संशोधित)	विद्यार्थी सत्र कार्यसभ्य	0	0

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदन विस्तार प्रदान करने की शर्तों का पालन करनी।
- ✓ सत्र 2020-21 हेतु प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा 1802 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमन-1802, प्रारंभिक विनियमन-2018 तथा अन्य विनियम-निर्णय एवं प्रवेश के अनुमोदन शर्तों तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क और अन्य शर्तों का पालन हेतु सत्र 20-21-2020/- प्रयोग, तो सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ हेतु 20-21-2020/- प्रयोग एवं एक सत्र से अधिक संस्थाओं (1) सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद के कार्यालय हेतु 20-21-2020

18/9



**कार्यालय,**  
**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**  
**उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

**:-कार्यालय ज्ञाप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1252-INTEGRATED ACADEMY OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, DELHI HAPUR BYPASS (NH-24),GHAZIABAD-201009			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मैसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मैसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)


सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, INTEGRATED ACADEMY OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, DELHI  
HAPUR BYPASS (NH-24), GHAZIABAD-201009



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव